अध्याय -VI
वन प्राप्तियां

अध्याय-VI
वन प्राप्तियां

6.1 कर प्रशासन

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग का प्रमुख है जिसे 37 क्षेत्रीय मण्डलों में आठ वन अरण्यपालों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। प्रत्येक अरण्यपाल वन मण्डल अधिकारियों के द्वारा उनके नियंत्रणाधीन किये जा रहे वन कार्यकलापों के दोहन एवं पुनरूत्पति का नियंत्रण करता है। प्रत्येक वन मण्डल अधिकारी अपने क्षेत्रीय मण्डल में वन सम्बन्धी सौंपे गये कार्यकलापों का प्रभारी होता है।

6.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2015-16 के दौरान वन प्राप्तियों से संबंधित 35 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 108 मामलों में ₹43.81 करोड़ से अंतर्ग्रस्त रॉयल्टी की गैर-वसूली/अल्प वसूली, ब्याज/विस्तृत फीस का अनुद्ग्रहण, जब्त की गई इमारती लकड़ी के कारण राजस्व का अवरोधन/ हानि तथा अन्य अनियमितताएं पायी गई जो निम्नवत् श्रेणियों के अंतर्गत नीचे **तालिका 6.1** में दर्शाई गई है:

तालिका 6.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	रॉयल्टी की गैर-वसूली/अल्प वसूली	27	15.71
2.	ब्याज/ विस्तृत फीस का अनुद्ग्रहण	18	1.06
3.	जब्त की गई इमारती लकड़ी के कारण राजस्व का अवरोधन/हानि	18	3.16
4.	अन्य अनियमितताएं	45	23.88
योग		**108**	**43.81**

विभाग ने वर्ष के दौरान 21 मामलों में ₹2.75 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया जिसमें से 14 मामलों में ₹30.14 लाख की राशि वसूल की गई जोकि विगत वर्षों से संबंधित है।

₹11.65 करोड़ से अंतर्ग्रस्त आवश्यक मामलों की अनुवर्ती परिच्छेदों मे चर्चा की गई है।

6.3 जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने के कारण राजस्व का अवरोधन

विभाग के विभिन्न डिपुओं में निपटान के लिए पड़ी 539.2254 घनमीटर आयतन की इमारती लकड़ी के गैर-निपटान के परिणामस्वरूप ₹33.70 लाख के मूल्य वर्धित कर सहित ₹2.79 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ।

भारतीय वन अधिनियम की धारा 52 में अधिग्रहण योग्य सम्पत्ति को जब्त करने के लिए प्रावधान किया गया है। अप्रैल 1951 के विभागीय अनुदेशों के अनुसार जब्त की गई इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पाद को या तो सपुरदार[1] की सपुर्दगी (सुरक्षित अभिरक्षा) में रखा जाना चाहिए अथवा प्रपत्र-17 में लेखाबद्ध करने के पश्चात् संबंधित क्षेत्रीय स्टॉफ के पास रखा जाना चाहिए। इस

[1] एक लम्बरदार या उस स्थान का कोई विश्वसनीय व्यक्ति!

प्रकार लेखाबद्ध की गई इमारती लकड़ी/वन उत्पाद का निपटारा या तो अपराध प्रशमन होने अथवा न्यायालय के निर्णय के उपरान्त किया जाना अपेक्षित है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने सभी अरण्यपालों को निदेश दिये (अप्रैल 1999) कि जहां पर वन उत्पादों की सपुर्दगी अत्यधिक लम्बी अवधि हेतु ली गई है वहां संबंधित जांच अधिकारी को ऐसे उत्पादों की निगरानी पर व्यय को कम करने तथा अपकर्ष (खराब होना)/चोरी से बचाव के लिए 15 दिनों के भीतर जब्त सम्पत्ति की नीलामी करवाने हेतु सक्षम न्यायालय के आदेश प्राप्त करने को कहा जाना चाहिए।

बारह वन मण्डलों की इमारती लकड़ी के प्रपत्रों की अप्रैल 2015 तथा मार्च 2016 के मध्य की गई लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि 40 वन परिक्षेत्रों में विभाग ने ₹33.70 लाख के मूल्य वर्धित कर सहित ₹2.79 करोड़[2] मूल्य की 539.2254 घन मीटर परिमाप की इमारती लकड़ी (2011-12 तथा 2014-15 के मध्य) जब्त की थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे यह भी उद्घाटित हुआ कि जब्त की गई इमारती लकड़ी विभाग के विभिन्न डिपुओं में बिना किसी अभिलेख के रखा होना यह दर्शाता है, कि क्या संबंधित वन अधिकारियों/जांच अधिकारियों ने जब्त की गई इमारती लकड़ी के निपटान हेतु कोई ठोस कदम उठाए थे अथवा न्यायालय के आदेशों को प्राप्त किया गया था। अत: जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने के फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व का न केवल अवरोधन हुआ बल्कि इसकी निगरानी करने पर व्यय तथा इमारती लकड़ी का आगे क्षय भी हुआ।

विगत चार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ₹6.94 करोड़[3] के मूल्य की जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने को विशिष्टता से दर्शाने के बावजूद भी विभाग ने जब्त की गई इमारती लकड़ी के निपटानार्थ कोई सरल व कारगर प्रक्रिया अमल में नहीं लाई।

इसे इंगित किए जाने पर, वन मण्डल अधिकारी, नाचन ने सूचित किया (दिसम्बर 2015) कि ₹47.24 लाख में से ₹2.21 लाख को वसूल कर लिया गया था तथा सरकारी खज़ाने में जमा करवा दिया था। वन मण्डल अधिकारियों, मण्डी तथा ठियोग ने बताया कि जब्त की गई इमारती लकड़ी के निपटान हेतु प्रयास किये जा रहे थे। शेष वन मण्डल अधिकारियों ने कोई उत्तर नहीं दिया था।

विभाग तथा सरकार को मामला जून 2015 तथा अप्रैल 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

6.4 रॉयल्टी दरों में गलत दर लागू करने के कारण रॉयल्टी की अल्प-वसूली

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ द्वारा रॉयल्टी के लिए गलत दरों को लागू करने के कारण ₹8.30 करोड़ की रॉयल्टी की अल्प-वसूली हुई।

मूल्यांकन समिति ने मई 2011 में पाया कि सड़कों का नेटवर्क राज्य के प्रत्येक कोने तक पहुंच चुका है तथा मूल्यवान एवं दूरवर्ती स्थानों तथा विशेष कर पहाड़ी इलाकों के परिमापों को इमारती लकड़ी के दोहन कार्य के लिए लागू नहीं किया जा सकेगा। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि

[2] आनी : आयतन: 45.888 घनमीटर: ₹17.70 लाख, बिलासपुर: आयतन: 41.4436 घनमीटर: ₹13.60 लाख, देहरा: आयतन: 14.2993 घनमीटर: ₹3.83 लाख, किन्नौर: आयतन: 40.7840 घनमीटर: ₹25.10 लाख, करसोग: आयतन: 61.241 घनमीटर : ₹29.33 लाख, मण्डी: आयतन: 75.084 घनमीटर: ₹40.85 लाख, नाचन स्थित गोहर: आयतन: 91.097 घनमीटर : ₹53.74 लाख, रेणुका: आयतन: 40.922 घनमीटर: ₹19.37 लाख, सिराज: आयतन: 12.435 घनमीटर: ₹7.59 लाख, शिमला: आयतन: 4.715 घनमीटर: ₹2.20 लाख, सोलन: आयतन 1.1095 घनमीटर: ₹0.71 लाख, तथा ठियोग: आयतन: 110.207 घनमीटर: ₹64.74 लाख।

[3] लेखापरीक्षा प्रतिवेदन : 2011-12 : ₹2.27 करोड़, 2012-13: ₹1.42 करोड़, 2013-14: ₹0.78 करोड़ तथा 2014-15: ₹2.47 करोड़।

लकड़ी की प्रत्येक किस्म के लिए रॉयल्टी की दरें पूरे राज्यभर में एक समान दरों पर ही भुगतानयोग्य होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन वन मण्ड़लों[4] में वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान *देवदार, कायल, चीड़, रई/फर* तथा चौड़ी पत्तियों वाली प्रजाति के 57,488.75 घनमीटर के स्थिर आयतन युक्त इमारती लकड़ी के 68 लॉट्स हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम को दोहनार्थ सौंपे गये थे। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने मूल्यानुसार एकल दर से भुगतान योग्य ₹14.28 करोड़ की राशि के बजाए दूरवर्ती इलाकों के विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू दरों के अनुसार परिकलन करके वन विभाग को ₹5.98 करोड़ की रॉयल्टी का भुगतान किया। इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ द्वारा गलत रॉयल्टी दरों को लागू करने के परिणामस्वरूप ₹8.30 करोड़ की रॉयल्टी की अल्प-वसूली हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला जून 2015 तथा अप्रैल 2016 के मध्य अग्रेषित किया गया था; उत्तर अभी प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

6.5 वृक्षों की लागत की अवसूली/अल्प-वसूली

विभाग ने परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 536 खड़े वृक्षों जिनका आयतन 257.434 घनमीटर था, की लागत ₹32.50 लाख को प्रयोक्ता एजेन्सी से वसूल नहीं किया था।

सितम्बर, 1991 के विभागीय निर्देशों के अनुसार गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए अपवर्तित/ स्थानांतरित वन भूमि पर खड़े वृक्षों की लागत उन एजेंसियों से जिनके पक्ष में भूमि का स्थानांतरण किया जाना है, उन्हे क्षेत्र सौंपने से पहले प्रचलित बाजारी दरों पर वसूल की जानी है। लेखापरीक्षा में निम्न पाया गया:

(क) वन मण्डल अधिकारी, किन्नौर के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 20 मेगा वॉट रौरा-II लघु जलविद्युत परियोजना के निर्माण हेतु एजेंसी के पक्ष में 4.8951 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन की मंजूरी अगस्त 2012 में प्रदान की गई। विभिन्न प्रजातियों के 165 खड़े वृक्षों जिनका आयतन 77.71 घनमीटर तथा लागत ₹20.43 लाख थी, परियोजना क्षेत्र में आ रहे थे। यह लागत एजेंसी से वसूल की जानी थी। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे प्रतीत होता कि प्रयोक्ता एजेंसी को कोई दावा भेजा गया हो। इसके परिणामस्वरूप ₹20.43 लाख के सरकारी राजस्व की अवसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹2.81 लाख का मूल्य वर्धित कर भी उद्ग्राहय था।

(ख) वन मण्डल अधिकारी, शिमला के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि कार्यालय भवन/कार पार्किंग/ सड़क के निर्माण हेतु विभिन्न एजेंसियों[5] के पक्ष में 2.9680 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन की मंजूरी नवम्बर, 2010, सितम्बर 2011 तथा मई 2012 में प्रदान की गई थी। विभिन्न प्रजातियों के 371 खड़े वृक्षों जिनका आयतन 179.724 घनमीटर तथा लागत ₹50.70 लाख थी, परियोजना क्षेत्र में आ रहे थे। विभाग ने यद्यपि मात्र ₹41.44 लाख ही वसूल

[4] आनी: 35 लॉट्स: 25,084.86 घन मीटर: ₹2.25 करोड़, चौपाल: 27 लॉट्स: 28,087.71 घन मीटर: ₹5.44 करोड़ तथा किन्नौर: छ: लॉट्स: 4,316.189 घन मीटर: ₹0.61 करोड़ ।

[5] ई0 एन0 सी0 भवन, शिमला के निर्माण हेतु सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका शौचालय, छोटा-शिमला के नजदीक कार पार्किंग के निर्माण के लिए नगरपालिका, शिमला तथा एवर-सनी-गोलचा-भौंट सड़क, शिमला के निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ।

किये परिणामस्वरूप मूल्य वर्धित कर ₹1.12 लाख सहित ₹9.26 लाख के राजस्व की अल्प-वसूली हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला जून 2015 तथा फरवरी 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

6.6 विस्तार फीस का अनुद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को दोहनार्थ सौंपे गए इमारती लकड़ी के 36 लॉट्स की पट्टावधि को ₹17.20 लाख की विस्तार फीस की मांग किये बिना बढ़ाया गया।

इमारती लकड़ियों/वृक्षों के दोहन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के साथ मानक पट्टा विलेख अनुबंध के खंड-3 के अनुसार, निगम को पट्टा अवधि की समाप्ति पर ऐसे वृक्षों जो कि पट्टे पर दिये गए वन में खड़े बचे थे, गिरे हुए वृक्षों तथा पट्टे पर दिये गए वन से हटाए नहीं गए, बिखरे हुए/दाव पर लगी इमारती लकड़ी पर कोई अधिकार नहीं होगा। आगे मूल्य निर्धारण समिति के सितम्बर 2007 के निर्णय के अनुसार पट्टा अवधि के बाद कार्यावधि के विस्तार के लिए कुल रॉयल्टी, चाहे उसका भुगतान किया गया हो अथवा नहीं, का 0.2 *प्रतिशत* प्रति मास की दर पर विस्तार फीस उद्ग्राह्य होगी।

दो वन मण्डलों के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि मई 2008 तथा मार्च 2015 को समाप्त पट्टा अवधि के दौरान इमारती लकड़ी के 36 लॉट्स, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को दोहनार्थ सौंपे गए थे। इन लॉट्स का संदोहन कार्य, पट्टावधि के भीतर पूर्ण नहीं हो सका। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने सॉलवेज लॉट्स की कार्यावधि में विस्तार की मांग की, जिसकी संबंधित वन मण्ड़ल अधिकारियों द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी। तथापि, ₹17.20 लाख[6] की विस्तार फीस की न तो विभाग द्वारा मांग की गई और न ही हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा इसका भुगतान किया गया था।

इसे इंगित किये जाने पर वन मण्ड़ल अधिकारी, ठियोग ने (सितम्बर 2015) सूचित किया कि ₹10.18 लाख की विस्तार फीस का बिल डिवीजनल मैनेजर, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को भेज दिया गया था जबकि वन मण्ड़ल अधिकारी, सिराज़ ने बताया कि विस्तार फीस का समाधान करने के बाद वसूली कर ली जाएगी।

विभाग तथा सरकार को मामला जून तथा सितम्बर 2015 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर अभी प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

6.7 वृक्षों का अवैध कटान

वन प्राधिकारियों के अवैध रूप से काटे गये वृक्षों का शीघ्र पत्ता लगाने तथा उनकी रिपोर्ट करने में विफलता के परिणामस्वरूप 22.90 घनमीटर आयतन वाले 91 वृक्षों को जब्त न करने से ₹0.80 लाख के मूल्य वर्धित कर सहित ₹6.66 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश वन विभाग में वन अपराधों के निपटान के संबंध में राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार गश्ती वन रक्षक अवैध रूप से काटे गये वृक्षों के संबंध में एक क्षति रिपोर्ट शीघ्र तैयार

[6] वन मण्ड़ल अधिकारी-सिराज स्थित बन्जार : आठ लॉट्स: ₹5.76 लाख तथा ठियोग: 28 लॉट्स: ₹11.44 लाख ।

करेगा तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी मामलों की जांच करेगा तत्पश्चात् क्षतिपूर्ति के निर्धारण अथवा अभियोजन की स्वीकृति हेतु वन मण्डल अधिकारी को प्रेषित करेगा। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2004 के प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश के अनुदेशों के अनुसार खण्ड अधिकारी/क्षेत्रीय वन अधिकारी से समय-समय पर वनों का निरीक्षण किया जाना तथा अवैध कटान के प्रति प्रभावी कदम उठाने एवं कार्रवाई करने के लिए उच्चतर प्राधिकारियों को मामला सूचित किया जाना अपेक्षित है। इन मामलों को पुलिस के पास पंजीकृत किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने वन मण्ड़ल अधिकारी, चुराह में "अपराध मामलों के रजिस्टर" में पाया (दिसम्बर 2015) कि 22.90 घन मीटर के आयतन के विभिन्न प्रजातियों के 91 खड़े वृक्षों को अवैध रूप से काटा गया तथा उन्हें अपराधियों द्वारा चुरा लिया गया। तथापि, इन अपराधों में से किसी भी मामले में न तो क्षति रिपोर्ट जारी की गई और न ही कोई प्राथमिकी रिपोर्ट पुलिस के पास दर्ज करवाई गई। इन अवैध रूप से काटे गये वृक्षों का अपराध करने के तुरन्त बाद क्षेत्रीय स्टॉफ द्वारा पता नहीं लगाया जा सका। इस प्रकार अपराधों का समय पर पता न लगाने तथा रिपोर्ट करने में विफलता के परिणामस्वरूप 22.90 घनमीटर आयतन वाले वृक्षों को जब्त न करने से ₹0.80 लाख के मूल्य वर्धित कर सहित ₹6.66 लाख के राजस्व की हानि हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला जनवरी 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर अभी प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

राम मोहन जौहरी

(राम मोहन जौहरी)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक : 21 फरवरी 2017

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 23 फरवरी 2017